



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17022023-243699
CG-MH-E-17022023-243699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944

No. 706]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 17 फरवरी, 2023

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 242160 दिनांक 20.01.2023 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

का.आ. 736(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है 1 की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संश्लिष्ट विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में "कल्याण - आसनगांव चौथी लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय कल्याण, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि के अन्य ब्योरो उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में तालुका कल्याण के अंतर्गत 13 गावों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय कल्याण, जिला ठाणे के अधीन विशेष रेल परियोजना "कल्याण - आसनगांव चौथी लाइन" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भू धारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. / चौ.मी.)
41	156/2022	वावेघर	कल्याण	8/1 - केरुबाई रघुनाथ लोने भागीरथीबाई विठ्ठल कशिवले रामचंद्र विठ्ठल कशिवले लक्ष्मण विठ्ठल कशिवले फशीबाई गुरुनाथ जाधव द्वारकाबाई नारायण जाधव रविंद्र सिताराम घरत मोनिका मालु तारमले माधवी दिपक विशे कुंदन सिताराम घरत	8	2	0.1440	0.1132
				8/2 - येसुबाई दत्त पाटोले रंगनाथ दत्त पाटोले प्रकाश दत्त पाटोले पंडित दत्त पाटोले प्रभाकर दत्त पाटोले सद्गुरु दत्त पाटोले रंगनाथ दत्त पाटोले नंदाबाई लक्ष्मण कशिवले छाया दत्त पाटोले		2	0.2400	
				8/3 - येसुबाई दत्त पाटोले रंगनाथ दत्त पाटोले प्रकाश दत्त पाटोले पंडित दत्त पाटोले प्रभाकर दत्त पाटोले सद्गुरु दत्त पाटोले रंगनाथ दत्त पाटोले नंदाबाई लक्ष्मण कशिवले छाया दत्त पाटोले		2	0.0660	

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भू धारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. / चौ.मी.)
				8/4 - ताराबाई मंगल कशिवले		2	0.4120	
				8/5 - ताराबाई मंगल कशिवले		1	0.0680	
				8/6 - आशालता कृष्णाजी प्रभू बुधाजी महादु राऊत जमिल अहमद महमद हसन शेख		1	0.3240	
कुल योग								9.1923

[फा. सं. G197/KYN-ASO/2023/GOM/SPL/Corr.-242160]

विवेक कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS
(CENTRAL RAILWAY)
CORRIGENDUM**

Mumbai, the 17th February, 2023

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 242160 DATED 20.01.2023, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Kalyan-Asangaon 4th line in the district of Thane in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Office Kalyan, District Thane, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **Kalyan-Asangaon 4th line in 13 village in Kalyan Taluka** under Competent Authority for Land Acquisition and Sub Divisional Officer' Office Kalyan district Thane in the State of Maharashtra.

S. No	LAC No.	Name of the Village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./Sqm)	Acquisition area (H.R./Sqm)
41	156/2022	Vaveghar	Kalyan	8/1 – Kerubai Raghunath Lone	8	2	0.1440	0.1132
				Bhagirathi Vitthal Kashivale				
				Ramchandra Vitthal Kashivale				
				Laxman Vitthal Kashivale				

				Fashibai Gurunath Jadhav				
				Dwarkabai Narayan Jadhav				
				Ravindra Sitaram Gharat				
				Monika Malu Tarmale				
				Madhavi Deepak Vishe				
				Kundan Sitaram Gharat				
				8/2 – Yesubai Dattu Patole	2	0.2400		
				Rangnath Dattu Patole				
				Prakash Dattu Patole				
				Pandit Dattu Patole				
				Prabhakar Dattu Patole				
				Sadguru Dattu Patole				
				Rangnath Dattu Patole				
				Nandabai Laxman Kashivale				
				Chaya Dattu Patole				
				8/3 - Yesubai Dattu Patole	2	0.0660		
				Rangnath Dattu Patole				
				Prakash Dattu Patole				
				Pandit Dattu Patole				
				Prabhakar Dattu Patole				
				Sadguru Dattu Patole				
				Rangnath Dattu Patole				
				Nandabai Laxman Kashivale				
				Chaya Dattu Patole				
				8/4 – Tarabai Mangal Kashivale	2	0.4120		
				8/5 – Tarabai Mangal Kashivale	1	0.0680		
				8/6 – Aashalata Krishnaji Prabhu	1	0.3240		
				Budhaji Mahadu Raut				
				Jamil Ahmad Mohmad Hasan Sheikh				
Total								0.2644
Grand Total								9.1923

[F. No: G197/KYN-ASO/2023/GOM/SPL/Corr.-242160]

VIVEK KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)